झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 7 वि०शा०/मु० राँची–05–01/2019 –29/19-20 ...... /राँची, दिनांक 26-08-19

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– **लतरातु जलाशय योजना अन्तर्गत लतरातु डैम के पुनर्स्थापन कार्य के लिये रू॰ 848.67 लाख (रूपये आठ करोड़ अड़तालीस लाख सड़सठ हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची प्रक्षेत्राधीन लतरातु जलाशय योजना अन्तर्गत लतरातु डैम के पुनर्स्थापन कार्य के लिये रू॰ 848.67 लाख (रूपये आठ करोड़ अड़तालीस लाख सड़सठ हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. लतरातु जलाशय योजना में मिट्टी बाँध, स्पीलवे, दो आउटलेट, दो मुख्य नहरें एवं इसका वितरण प्रणाली निर्मित है। बाँयीं मुख्य नहर की लम्बाई 21.33 कि०मी० है, इसका जलश्राव 153 क्यूसेक है। दाँयीं मुख्य नहर की लम्बाई 20.10 कि०मी० है एवं जलश्राव 120 क्यूसेक है।

4. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची द्वारा लतरातु डैम को दुरूस्त करने हेतु इसके पुनर्स्थापन कार्य का रू० 848.67 लाख के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते हुए उपलब्ध कराया गया है, जिसकी अवयववार विवरणी निम्नवत् है –

Sl. No.	Component	Amount (in lakh)
1.	A-Preliminary Survey and Investigation	0.50
2.	C-Works	738.66
3.	O-Miscelaneous @1%	7.39
	Total	**746.55**
	GST @ 12%	89.58
	Sub-Total -	**836.13**
	Labour Cess @1%	8.36
	Contigency @0.50%	4.18
	Grand Total :-	**848.67**

5. क्रमांक–4 में वर्णित C-Works के अन्तर्गत कराये जाने वाले मुख्य अवयवों का विवरण निम्नवत् है –

Sl. No.	Work Component	Amount
1.	Dam	
(i)	Earth work in dam fill, seat preparation, Dam toe boulders	29705435
(ii)	Grid drains (longitudinal and transverse) 8030.8 M and Toe drain 1486.25 M	16483493
(iii)	Parapet Wall & Metal Crash Barrier	4703116
(iv)	Repair of dam structures	1889904
	Total Dam :-	**52781948**
2.	Bituminous road 1189 M over dam top and approach road	8011530
3.	Carriage cost of materials	11870668
4.	Miscellaneous work (dismantling, painting ...)	1201735
	Total :-	**73865881**
	Say :-	**Rs. 738.66 lakh**

6. प्रस्तावित कार्य वर्ष 2019–20 में प्रारम्भ कर इसी वित्तीय वर्ष कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

7. इस योजना पर होने वाला व्यय "मुख्य शीर्ष 4701–मध्यम. सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, उप– मुख्य शीर्ष 80 सामान्य लघु शीर्ष –796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष 46– सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष– 05– निर्माण, 45– अन्य व्यय" के अन्तर्गत प्रावधानित राशि के अधीन विकलनीय होगा।

8. वर्ष 2019–20 के बजट में पुरानी सिंचाई योजनाओं के पुनर्स्थापन कार्य हेतु निम्नांकित प्रावधान है –

शीर्ष 49S – 4701 – 80 – 796 – 46 – 05 – 45 में रू० 700.00 लाख

9. इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, खूँटी होंगे।

10. (i) कार्य कराने के पूर्व असंबद्ध प्रमण्डल द्वारा मापी एवं मरम्मति कार्य के मात्रा की जाँच करा ली जायेगी।

(ii) इस कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व मरम्मति / पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायगा।

11. इस कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व निर्माण कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा–निर्देश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

12. जीर्णोद्धार कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

13. कार्य के लिये राशि की निकासी खूँटी कोषागार, खूँटी से की जायेगी।
14. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।
15. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०–2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।
16. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
17. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
18. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
19. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

26.8.19

(अरूण कुमार सिंह)

सरकार के अपर मुख्य सचिव

पत्रांक :– 7 वि०शा०/मु० राँची–05–01/2019 – 29/19-20 यो०स्वी० /राँची, दिनांक 26.08.19

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना –सह– वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.8.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 7 वि०शा०/मु० राँची–05–01/2019 – 29/19-20 यो०स्वी० /राँची, दिनांक 26.08.19

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, खूँटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.8.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 7 वि०शा०/मु० राँची–05–01/2019 – 29/19-20 यो०स्वी० /राँची, दिनांक 26.08.19

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, जल संसाधन विभाग, राँची/ कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, खूँटी/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०–3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रषाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.8.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 7 वि०शा०/मु० राँची–05–01/2019 – 29/14-20 ५.(व) /राँची, दिनांक 26.08.19.

प्रतिलिपि :– उपायुक्त, खूँटी को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

26.8.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 7 वि०शा०/मु० राँची–05–01/2019 – 29/14-20 ५.(व) /राँची, दिनांक 26.08.19

प्रतिलिपि :– मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

26.8.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव